न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –10/2016 जिला दौसा

1. कजोड पुत्र राधाकिशन , जाति गुर्जर, निवासी ग्रम भाण्डारेज, तहसील दारैसा जिला दौसा ।
2. रामप्रताप पुत्र माना, जाति गुर्जर, निवासी ग्रम भाण्डारेज, तहसील दौसा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामसहाय , जाति बैरवा, निवासी ग्रम भाण्डारेज, तहसील दौसा, जिला दौसा ।
2. धनबाई पत्नी बुद्धराम, जाति बैरवा, निवासी ग्रम भाण्डारेज, तहसील दौसा, जिला दौसा ।
3. मोहन लाल पुत्र श्रीराम जाति, जांगिड, निवासी ग्रम भाण्डारेज, तहसील दौसा, जिला दौसा ।
4. तहसीलदार , तहसील दौसा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप जिला कलक्टर दौसा दिनांक 25.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 5.6.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 25.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट रामलाल व धनबाई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 हैक्टेयर , खसरा नम्र 7577 रकबा 0.08 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 7576 रकबा 0.11 हैक्टेयर , कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्रम भाण्डारेज तहसील दौसा का मौके पर टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाए कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिया गया कि ग्रम भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 है. , खसरा नम्बर 7576 रकबा 0.11 है. तथा खसरा नम्बर 7577 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है. भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियों / गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे । उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 25.6.2015 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 22.6.15 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 25.6.15 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 हैक्टेयर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 राम लाल व धनबाई की न होकर अपीलान्ट्स एवं अन्य गुर्जर समाज के

लोगों को पूर्व में दे रखी थी तथा उसके बदले खसरा नम्बर 6015 की भूमि में से 0.21 हैक्टेयर भूमि दी गई थी , जिस पर अपीलान्स काबिज है । रेस्पोंडेन्ट्स 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 हैक्टेयर का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी की याचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की है जबकि उक्त खसरा नम्बर पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है । उनका कहना था कि कानूनी रूप से काबिज काश्तकार ही अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्नीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं हो सका । पटवारी द्वारा अपीलान्ट्स को दिनांक 16.6.16 को यह कहने पर कि तुम्हारे कब्जे वाली भूमि खसरा नम्बर 6019 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु उप खण्ड अधिकारी महोदय के आदेश तहसीलदार जी को मिले है तथा तहसीलदार जी ने टीम गठित कर दी है । अब उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी पुलिस प्रशासन के बल पर होगी , तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 25.6.2015 निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकिति तथ्यों एवं इनके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं होने एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में रामलाल व धनबाई के प्रार्थना पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 7577 रकबा 0.08 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 7576 रकबा 0.11 हैक्टेयर , कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्रम भाण्डारेज तहसील दौसा का मौके पर टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाए कायम कराये जाने, पर उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिया गया कि ग्रम भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 है. , खसरा नम्बर 7576 रकबा 0.11 है. तथा खसरा नम्बर 7577 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 कुल रका 0.40 है. भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियों / गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे । अपीलान्ट्स आराजी खसरा नम्बर 6019 रकबा 0.21 हैक्टेयर पर काबिज होना बताते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं मौके की रिपार्ट मंगवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना बताते हैं ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.2015 रेस्पोंडेन्ट्स मोहन लाल वगैहरा की अनुपस्थिति में एकपक्षिय पारित कर अपीलान्ट रामलाल व धनबाई का प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराये जाने का, स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी करने कराने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है । इस अपील के अपीलान्ट्स कजोड व रामप्रताप अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स थे जिन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना एवं उन्हें बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । किसी भी प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारें के प्रतिकूल तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । इसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 25.6.15 को विधिसम्यक नहीं पाते हैं तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जॉच की जाकर , विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 25.6.15 निरस्त किया जाता है तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित

अवसर प्रदान कर, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जॉच की जाकर , विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 5.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर